Hol for n.a.p.
28/02/2022

17-71

F. No. 01/032/2021-CSB
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(CS-II Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
2nd Floor, Vayu Wing;
Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003
Dated 24th February, 2022

To,

The Director,
Botanical Survey of India,
Kolkata.

Subject:- Recruitment rules to the post of Senior Preservation Assistant in BSI-reg.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the notification for Recruitment Rules to the post of Senior Preservation Assistant in Botaical Survey of India (BSI), MoEF&CC which have been published in the Part II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India as GSR No. 17 dated 14.02.2022 for information please.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Geeta Bhatnagar)
Under Secretary to the Government of India
Tel: 011- 20819367

(12)	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	
1. Joint Secretary (Administration)	
Department of Agriculture and Farmers Welfare	- Chairman;
2. Joint Secretary (Cooperation or Credit)	
Department of Agriculture and Farmers Welfare	- Member;
3. Director or Deputy Secretary (Personnel)	
Department of Agriculture and Farmers Welfare	- Member.

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 12018/09/2010-E.II (Volume-3)]
U. K. SAH, Under Secy.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2022

सा.का.नि. **17**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2021 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**-पद की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - कोई भी व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसके पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति / पत्नी जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद में से किसी पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु, यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीयविधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केंद्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्तियां-इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ परिरक्षण सहायक	46*(2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5, 29200-92300 रूपए	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
27 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान/ बागवानी में बी.एस.सी. टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा	आयु : नहीं; शैक्षिक अर्हताएं :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा पचहत्तर प्रतिशत और प्रोन्नति द्वारा पच्चीस प्रतिशत जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

चयन आयोग के विज्ञापनानुसार होगी।	सकती है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : श्रेणी में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित परिरक्षण सहायक सह उद्यान पर्यवेक्षक (स्तर-4) टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है; वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण - अध्यक्ष; (2) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता - सदस्य; (3) कार्यालय अध्यक्ष, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, कोलकाता – सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा. सं. 01/02/2021-सीएसबी]

मंजु पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

New Delhi, the 14th February, 2022

G.S.R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Senior Preservation Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Preservation Assistant in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, Senior Preservation Assistant, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..**— The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Preservation Assistant.	46* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', non-Gazetted, non-Ministerial.	Level 5, in pay matrix Rs. 29200-92300.	Non-selection.

Age limits for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not exceeding 27 years (relaxable for government servants up to 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the	B.Sc. with Botany or Horticulture from a recognised University. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.	Age: No. Educational Qualifications: 10^{th} standard pass from a recognised Board.	Two years for direct recruits.	Seventy-five per cent by direct recruitment and twenty- five per cent by promotion failing which by direct recruitment.

Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.				

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Preservation Assistant-cum-Garden Overseer (Level-4) with five years regular service in the grade. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation and promotion) consisting of: — (1). Director, Botanical Survey of India-Chairman; (2). Head of Office, Botanical Survey of India, Kolkata-Member; (3). Head of Office, Zoological Survey of India, Kolkata- Member.	Not applicable.

[F. No. 01/02/2021-CSB]

MANJU PANDEY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM